मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित सर्वदलीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने सभी दलों से एकजुटता और आपसी सामंजस्य स्थापित करने का आव्हान किया और कहा कि वे प्रदेश हित में सरकार के साथ मिलकर कार्य करें।

मु.मंत्री भजनलाल ने सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से मिलकर काम करने का आव्हान किया

विभिन्न दलों ने केन्द्र व राज्य सरकार की जवाबी कार्यवाही व तैयारियों की सराहना की व सुझाव दिए

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी दलों से अपील की कि वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ सम्पर्क में रहें और राज्य सरकार द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन, रेस्क्यू कार्यक्रमों, ब्लैक आउट व अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े मामलों में सहयोग करें।**

जयपुर, 10 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुरक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हम परिस्थितियों का विश्लेषण कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अहम निर्णय ले रहे हैं। इसमें सरकार को सभी दलों का भी सहयोग मिलना बेहद आवश्यक है।

शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सर्वदलीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी दलों से एकजुटता और आपसी सामंजस्य स्थापित करने का आ ान करते हुए कहा कि वे प्रदेश हित में सरकार के साथ मिलकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए सभी रिक्त पदों को तुरंत भरने की कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत के मुताबिक आरएसी, आपदा राहत बलों, सिविल डिफेंस की अतिरिक्त नफरी सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने के लिए लगाई गई है। सीमावर्ती जिलों में प्रशासन ब्लैकआउट एवं आवागमन प्रतिबंधों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करा रहा है, जिसमें नागरिकों का भी अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। शादियों व अन्य समारोहों में तेज रोशनी, चकाचौंध एवं आतिशबाजी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। निजी ड्रोन को उडाने पर भी पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है।

शर्मा ने सभी दलों से अपील करते हुए कहा कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और वॉलेंटियर्स के साथ संपर्क में रहें और राज्य सरकार द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन, रेस्क्यू कार्यक्रमों, ब्लैक आउट और अन्य व्यवस्था से जुडे मामलों में सहयोग करें।

सर्वदलीय बैठक में उपस्थित विभिन्न दलों के नेताओं ने कहा कि वे वर्तमान परिस्थिति में पूरी तरह राज्य सरकार के साथ हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई और वर्तमान परिस्थितियों में केन्द्र और राज्य सरकार की तैयारियों की सराहना करते हुए विभिन्न सुझाव दिए।

बैठक में उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, कांग्रेस पार्टी प्रतिनिधि व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक रफीक खान, राष्ट्रीय लोकदल से विधायक डॉ. सुभाष गर्ग, बहुजन समाज पार्टी से विधायक मनोज कुमार एवं भारत आदिवासी पार्टी से विधायक उमेश मीणा उपस्थित थे।

न्यूज़ चैनल नागिरक सुरक्षा सायरन का उपयोग समझदारी से करें

■ **नागरिक सुरक्षा महानिदेशक ने कहा कि चैनलों द्वारा अपने कार्यक्रमों में सायरन बजने से इसके प्रति लोगों की संवेदनशीलता खत्म हो जायेगी।**

नयी दिल्ली, 10 मई। नागरिक सुरक्षा महानिदेशक ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच नागरिक सुरक्षा तैयारियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मीडिया चैनलों को सलाह दी है कि वे अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के प्रति लोगों को सचेत करने वाले सायरन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इसे बेवजह बजाने से इसके प्रति लोगों की संवेदनशीलता खत्म हो जायेगी।

नागरिक सुरक्षा महानिदेशक ने शनिवार को यहां नागिरक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 3(1) का इस्तेमाल करते हुए, मीडिया चैनलों को इन सायरनों का अपने कार्यक्रमों में इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है।

सलाह में कहा गया है कि इस सायरन का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से लोगों की इसके प्रति संवेदनशीलता समाप्त हो जायेगी और लोग इसे नियमित मामला समझ कर इसकी परवाह नहीं करेंगे। इसमें कहा गया है कि इसका परिणाम यह होगा कि जब वास्तव में हवाई हमले से सचेत रहने के लिए सायरन बजाया जायेगा तो लोग उस पर भी ध्यान नहीं देंगे।

उल्लेखनीय है कि अधिकतर मीडिया चैनल अपने कार्यक्रमों में इस तरह के सायरन का नियमित रूप से बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं।

तमिलनाडु, केरल व प.बंगाल में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने से सुप्रीम कोर्ट ने इन्कार किया

सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका खारिज कर दी

■ **जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बैंच ने कहा कि अगर किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है तो कोर्ट किसी भी राज्य को कोई भी राष्ट्रीय नीति मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।**

■ **सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता, वकील जी.एस. मणि पर भी सवालिया निशान लगाया और कहा कि वे भले मूलतः तमिलनाडु के हैं, पर, दिल्ली में रहते हैं और इस मामले में उनसे सीधे ही कोई हित जुड़े हुए नहीं हैं।**

■ **सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नीति बनाना व लागू करना राज्य की सरकार व विधानसभा का काम है। कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता है।**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 मई। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें माँग की गई थी कि तमिलनाडु केरल और पश्चिम बंगाल सरकारों को नेशनल एजुकेशन पालिसी (एनईपी) 2020 के तहत प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र (थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला) को लागू करने के निर्देश दिये जायें।

भाजपा से जुड़े वकील जी.एस. मणि द्वारा दायर इस पीआईल पर विचार करने से इनकार करते हुये, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं मनोज मिश्रा की बैंच ने कहा कि अदालत किसी राष्ट्रीय नीति को अपनाने के लिये राज्यों को तब तक बाध्य नहीं कर सकती, जब तक किसी मौलिक अधिकार का प्रमाणित उल्लंघन न हुआ हो।

बैंच ने इस पीआईएल को खारिज करते हुये अपने आदेश में कहा, "अदालत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जैसी किसी पॉलिसी को अपनाने के किसी राज्य को सीधे तौर पर बाध्य नहीं कर सकती। लेकिन अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से सम्बंधित किसी राज्य की कोई कार्यवाही या निष्क्रियता किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। हम इस रिट याचिका के इस मुद्दे पर विचार नहीं करेंगे।"

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की सदाशयता पर भी प्रश्न खड़े किये तथा कहा कि भले ही वे तमिलनाडु से हों, लेकिन वे रहते तो दिल्ली में हैं, इसलिये इस मामले में उनकी कोई सीधी रुचि दिखाई नहीं देती।

बैंच ने कहा, "हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता को उस कारण से कोई लेना-देना नहीं है, जिसका वे समर्थन कर रहे हैं। वे मूलरुप से तमिलनाडु राज्य से भले ही हों, लेकिन जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, वे नई दिल्ली में रह रहे हैं। इन हालात में, यह याचिका खारिज की जाती है।"

भाजपा से सम्बद्ध वकील जी.एस. मणि द्वारा दायर इस याचिका में दलील दी गई है कि एनईपी 2020 को तीन राज्यों द्वारा लागू न किया जाना नागरिकों के मौलिक अधिकारों, खासतौर से शिक्षा के अधिकार का हनन है। याचिकाकर्ता ने एनईपी लागू करने के लिये इन राज्यों को निर्देश दिये जाने, तथा इसके लिये बाध्य करने के लिये केन्द्र सरकार के साथ मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैन्डिंग (एमओयू) किये जाने की माँग की थी।

मणि ने दलील दी थी कि त्रिभाषा सूत्र समावेशी एवं न्यायसंगत शिक्षा के लिये, खासतौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिये बहुत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि खासतौर से तमिलनाडु सरकार, जो (उसके शब्दों में) "हिन्दी थोपे जाने" की निरन्तर विरोधी रही है, के राजनैतिक उद्देश्य उसे इन नीति को लागू करने से रोक रहे हैं।

केन्द्र सरकार ने, एनईपी का बचाव करते हुये, कहा है कि यह नीति बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करती है तथा राज्यों और विद्यार्थियों को लचीलापन प्रदान करती है। किन्तु तमिलनाडु सरकार ने, अपने विरोध को दोहराते हुये, तर्क दिया कि त्रिभाषा सूत्र गैर-हिन्दी भाषी राज्यों पर अनुचित दबाव डालता है तथा भाषाई संघवाद को कमजोर करता है।

मणि की याचिका पर की गई अपनी प्रतिक्रिया में, तमिलनाडु ने हिन्दी -विरोधी आंदोलन से लेकर अब तक की इस प्रकार की नीतियों के विरोध के इतिहास का उल्लेख किया तथा शैक्षिक ढ़ाँचे के माध्यम से हिन्दी थोपने के किसी भी अप्रत्यक्ष प्रयास के खिलाफ अपने दृढ़ रुख को दोहराया।

इस मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुये, बैंच ने कहा कि नीति-निर्माण और उनका क्रियान्वयन राज्यों की विधायिका एवं कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा न्यायिक हस्तक्षेप उनहीं मामलों तक सीमित है, जहाँ संवैधानिक अधिकार प्रमाणित रुप से प्रभावित हो रहे हों।

एनईपी 2020 में प्रस्तावित त्रिभाषा नीति विद्यार्थियों को तीन भाषाएं सीखने के लिये प्रेरित -प्रोत्साहित करती है, जिनमें कम से कम दो भारत की देशीय भाषाएं हों, जो राष्ट्रीय एकता और भाषाई विविधता को प्रोत्साहित करती हों। तमिलनाडु, दो भाषाओं की नीति का अनुसरण करता है और उससे किसी भी प्रकार के विचलन को खारिज करने में काफी मुखर रहा है।

क्या भारत-पाक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कांग्रेस कह रही है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, संसद का सत्र बुलाया जाए। वे इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं, लेकिन अभी तक मोदी और उनकी सरकार पर खुलकर हमला नहीं कर रहे हैं। इस घटनाक्रम के राजनीतिक परिणाम आने वाले दिनों में दिखने शुरु होंगे, लेकिन फिलहाल तो युद्ध जैसी स्थिति के शोर-शराबे के बाद हर तरफ सन्नाटा है।

एसीबी को रिश्वत लेकर जाते विधायक का सीसीटीवी फुटेज मिला

विधायक पटेल का पीए रोहित मीणा लगातार छापे मारने के बाद भी अभी पकड़ में नहीं आया

■ **फरार पीए रोहित मीणा के रिश्तेदार जगराम और लक्ष्मण से एसीबी पूछताछ कर रही है। रोहित के कई अन्य नेताओं से भी संपर्क बताये जाते हैं।**

जयपुर, 10 मई। बागीदौरा (बांसवाड़ा) से भारत आदिवासी पार्टी (बाप) के विधायक जयकृष्ण पटेल के बीस लाख की रिश्वत लेने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। इस सीसीटीवी फुटेज में विधायक पैसा लेकर जाता नजर आ रहा है। वहीं, दूसरी तरफ फरार पीए रोहित मीणा को एसीबी अभी तक नहीं पकड़ पाई है। आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।

एसीबी रोहित मीणा के फैंके जीपीएस और बैग को भी रिकवर कर चुकी है। इसी बैग में परिवादी ने विधायक को पैसा दिया था। रोहित ने इससे पैसा निकाल कर सुनसान जगह पर फैंक दिया था। सीसीटीवी फुटेज और बैग को एसीबी एफएसएल के पास जांच के लिए भेज चुकी है। एसीबी ने फरार रोहित मीणा के रिश्तेदार जगराम और लक्ष्मण से इस पूरी घटना को लेकर पूछताछ की। लेकिन दोनों ने घटना को लेकर कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया है। जगराम और लक्ष्मण दोनों ने 83 हजार रुपए के बारे में भी एसीबी को अभी तक नहीं बताया है। 20 लाख रुपए में से 83 हजार रुपए एसीबी को कम मिले थे। यह पैसा किसके पास है। इसकी अभी जांच की जा रही हैं। वहीं, रोहित मीणा के बारे में दोनों ने एसीबी को कोई जानकारी नहीं दी है। इसलिए एसीबी अपने स्तर पर रोहित की तलाश में लगी हुई है। एसीबी के अधिकारियों का दावा है कि जल्द से जल्द रोहित मीणा की भी गिरफ्तारी एसीबी के द्वारा की जाएगी, जिस से इस केस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

बाप विधायक का पीए रोहित कई अन्य नेताओं के भी सम्पर्क में था। रोहित को लेकर एसीबी दूसरे अन्य नेताओं से भी जानकारी जुटा रही है। रोहित ने विधायक से जुड़ने के बाद घर आना-जाना कम कर दिया था और लगातार विधायक के साथ ही रहता था। रोहित को लेकर एसीबी अन्य जानकारी भी जुटा रही है।

प.बंगाल में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गांव से महिलाओं और बच्चों सहित 24 अवैध बंगलादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी के बाद उठाया गया है, जिससे संभावित मानव तस्करी और सीमा पार नेटवर्क पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "पश्चिम बंगाल में भारत-बंगलादेश सीमा का 350 किलोमीटर लंबा नदी क्षेत्र हमेशा से सुरक्षा के लिए चुनौती रहा है, क्योंकि बाड़ लगाना संभव नहीं है और भौतिक निगरानी ही एकमात्र विकल्प है।" उन्होंने कहा कि बल लगातार सतर्कता बरतता है, लेकिन जलमार्गों के माध्यम से घुसपैठ का जोखिम अभी भी बना हुआ है।

चुनिंदा 32 हवाई अड्डे 14 मई तक बंद

इन हवाई अड्डों पर सभी नागरिक उड़ान गतिविधियाँ बंद रहेंगी

■ **इन हवाई अड्डों में राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर व किशनगढ़ हवाई अड्डे शामिल हैं।**

नयी दिल्ली, 10 मई। केन्द्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ सैन्य कार्रवाई को देखते हुए हिंडन, श्रीनगर, चंडीगढ़ , जोधपुर, राजकोट और भुज समेत 32 हवाई अड्डों पर नागरिक उड्डयन गतिविधियां 14 मई तक अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश दिए हैं।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को यहां बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और संबद्ध विमानन प्राधिकरणों ने परिचालन संबंधी कारणों से नौ से 14 मई 2025 तक उत्तरी और पश्चिमी भारत के 32 हवाई अड्डों को सभी तरह के नागरिक उड़ान संचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है।

मंत्रालय ने कहा है कि नोटिस टू एयरमैन (नोटम) के अनुसार उधमपुर, अम्बाला,

अमृतसर, अवंतीपुर, बठिंडा, भुज,बीकानेर, चंडीगढ़ , हलवारा, हिंडन, जैसलमेर, जम्मू, जामनगर, जोधपुर, कांडला, कांगड़ा (गग्गल), केशोद, किशनगढ़ , कुल्लू, मनाली (भुंतर), लेह, लुधियाना, मुंद्रा, नलिया, पठानकोट,पटियाला, पोरबंदर, राजकोट (हीरासर), सरसावा, शिमला, श्रीनगर, थोइस और उत्तरलाई शामिल हैं।

मंत्रालय ने कहा है कि इन सभी हवाई अड्डों पर 14 मई तक सभी नागरिक उड़ान-गतिविधियाँ बंद रहेंगी।

एएआई ने परिचालन संबंधी कारणों से दिल्ली और मुंबई उड़ान सूचना क्षेत्रों (एफआईआर) के भीतर हवाई यातायात सेवा (एटीएस) मार्गों के 25 खंडों के अस्थायी रूप से बंद रहने की अवधि को भी बढ़ा दिया है। एयरलाइंस और फ्लाइट ऑपरेटरों को मौजूदा हवाई यातायात परामर्श के अनुसार वैकल्पिक रूटिंग की योजना बनाने की सलाह दी गई है।

लोक अदालत में 5.98 लाख लंबित मुकदमों का हुआ निस्तारण

जयपुर, 10 मई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने हाईकोर्ट में लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर अनेक न्यायाधीश सहित, अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। लोक अदालत में कुल 5 लाख 98 हजार 407 लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। वहीं, प्री-लिटिगेशन सहित कुल 43.19 लाख प्रकरण राजीनामे से तय किए गए। इसके साथ ही, 6.15 अरब रुपए के अवार्ड जारी किए गए। भारत-पाक तनाव को देखते हुए बालोतरा, बीकानेर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर जिले में लोक अदालत को स्थगित रखा गया। वहीं, जोधपुर में भी दोपहर 12.30 बजे के बाद लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने का उद्देश्य शामिल किया गया है। ऐसे में न्याय प्रणाली को इस तरह का रूप दिया गया है कि वह मुकदमे की प्रकृति के अनुसार उसके पक्षकारों को न्याय प्रदान करे। कई पक्षकारों के बीच ऐसे सिविल व छोटे आपराधिक प्रकृति के मामले होते हैं, जिन्हें आपसी सहमति से ही सुलझाया जा सकता है।

■ **भारत-पाक तनाव को देखते हुए बालोतरा, बीकानेर, श्रीगंगानगर व जैसलमेर जिलों में लोक अदालत स्थगित रखी गई तथा जोधपुर में लोक अदालत दोपहर 12:30 बजे बाद स्थगित कर दी गई।**

ऑपरेशन सिंदूर ने 5 आतंकवादी सरगना का सफाया किया

■ **ये सभी भारत में बड़े आतंकवादी हमलों में लिप्त थे व पाकिस्तान सरकार में प्रभावी थे।**

नयी दिल्ली, 10 मई। पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों के 6 मई की रात को चलाये गये ऑपरेशन सिंदूर में पांच आतंकवादी सरगनाओं के साथ साथ सैकड़ों अन्य आतंकवादी मारे गये।

सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में मौलाना मसूद अजहर के परिजनों सहित ऐसे बर्बर आतंकवादी मारे गये हैं जिनकी भारत में कई बड़े आतंकवादी हमलों में तलाश थी।

मारे गये आतंकवादियों में कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुदस्सर खादियां खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल भी शामिल है। यह मरकज़ तैयबा, मुरीदके का प्रभारी था और इसकी पाकिस्तानी सरकार में अच्छी पैठ थी। पाकिस्तान सेना द्वारा उसके अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ की ओर से उसे पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके अंतिम संस्कार की नमाज एक सरकारी स्कूल में आयोजित की गई, इसमें जमात-उद-दावा के नामित वैश्विक आतंकवादी के हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया। पाकिस्तानी सेना एक सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के आईजी नमाज में शामिल हुए।

इस ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद का कुख्यात आतंकवादी हाफिज मुहम्मद जमील भी मारा गया है। यह मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला और बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी था। यह युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और जैश-ए-मोहम्मद के लिए धन जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल था।

मारे गये तीसरे बड़े आतंकवादी का नाम जैश-ए-मोहम्मद के मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ घोसी साहब है। यह भी मौलाना मसूद अजहर का साला और जैश-ए-मोहम्मद के लिए हथियारों के प्रशिक्षण का काम देखता था। यह जम्मू-कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में शामिल था। इस आतंकवादी की कंधार विमान अपहरण मामले में भी तलाश थी।

हमलों में मारा जाने वाला चौथा आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा का खालिद उर्फ अबू अकाशा था जो जम्मू-कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में शामिल था। यह अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी में शामिल था। इसका अंतिम संस्कार फ़ैसलाबाद में किया गया। इसमें पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी और फ़ैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर शामिल हुए।

पांचवां आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद का मोहम्मद हसन खान था। वह मुफ़्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में जैश का ऑपरेशनल कमांडर था। इसने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों के समन्वय में अहम भूमिका निभाई।

भारत के एक भी युद्धक विमान को नुकसान नहीं पहुंचा

नयी दिल्ली,10 मई। पाकिस्तान के साथ जारी सैन्य संघर्ष में भारतीय वायुसेना के किसी भी युद्धक विमान का कोई नुकसान नहीं हुआ है और न मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली एस-400 या किसी हवाई अड्डे को कोई खतरा पहुंचा है।

सूत्रों ने आज यहां बताया कि बीते तीन दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ नपीतुली, गैर- समानुपातिक एवं सीमित कार्रवाई में भारतीय वायुसेना के किसी भी विमान का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

इस बारे में पाकिस्तान की ओर से सोशल मीडिया में किये जा रहे दावे बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं।

क्या ट्रंप ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सीधा संवाद हुआ। तब से यह स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तान अब सीज़फायर और संवाद की कोशिश कर रहा है।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच अचानक शत्रुता समाप्त होने का श्रेय उनके प्रशासन को जाता है।

डॉनल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "ट्रुथ सोशल" पर घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान तत्काल और पूर्ण सीज़फायर पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने लिखा कि यह समझौता रातभर चली मध्यस्थता की प्रक्रिया के बाद हुआ।

इसके कुछ ही मिनटों बाद, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर ट्वीट किया कि सीज़फायर समझौता हो गया है। फिर रूबियो ने भी सोशल मीडिया पर इस समझौते की पुष्टि की।

'रातभर की लम्बी वार्ता के बाद भारत और...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तनाव के बाद हुई, जिसकी शुरुआत 22 अप्रैल को भारतीय कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से हुई थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को नकारा।

इसके जवाब में, भारत ने पाकिस्तान में कथित आतंकी ढांचों पर हवाई हमले किए, जिसके बाद सीमा पार मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान ने "ऑपरेशन बुनेयन उल मर्सूस' के तहत, कई भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस संघर्ष में 60 से अधिक नागरिकों की मौत हो चुकी है और प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोगों को निकालना पड़ा।

इस बीच, अमेरिका सहित, चीन और उ7 देशों ने दोनों देशों से तत्काल तनाव कम करने की अपील की और मध्यस्थता की पेशकश की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने दोनों देशों के अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहते हुए सीधी बातचीत की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

हालाँकि दोनों देशों ने तनाव कम करने की सशर्त इच्छा ज़ाहिर की, पर आपसी अविश्वास और घरेलू दबावों के कारण शांति की कोशिशें कठिन बनी रहीं। स्थिति अब भी अस्थिर है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय घटनाक्रम पर कड़ी निगरानी रखे हुए है।

कुछ नया होने का पहला संकेत तब मिला, जब लगातार तीन दिनों तक पाकिस्तानी हमलों के बाद भारत ने कहा कि "भविष्य में पाकिस्तान द्वारा किया गया कोई भी आतंकी हमला युद्ध की कार्यवाही माना जाएगा"। प्रश्न यह उठा: "भविष्य में" क्यों? "अब" क्यों नहीं?-यह एक ठोस संकेत था।

इसका मतलब यह था कि भारत पीछे हटने और तनाव कम करने के लिए तैयार था और इस्लामाबाद भी इस प्रक्रिया में शामिल था।

22 अप्रैल से शुरू हुए घटनाक्रम का ईमानदार मूल्यांकन यह दर्शाता है कि पाकिस्तान भारत की कार्रवाई से झुका नहीं, बल्कि अमेरिका के दबाव में युद्धविराम पर सहमत हुआ, जो आईएमएफ से आर्थिक राहत दिलाने में मददगार होगा।

वहीं दूसरी ओर, अमेरिका ने भारत पर दबाव डालकर व्यापार वार्ता में भारी टैरिफ छूट देने के लिए मजबूर किया और यह भी दिखाया कि अमेरिकी मूल्यांकन में मोदी सरकार की जगह क्या है। पहले भी अमेरिका ने अवैध भारतीय प्रवासियों को अपमानजनक परिस्थितियों में भारत वापस भेजा था और नई दिल्ली ने इसका विरोध तक नहीं किया।

22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए दुखद हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान में नौ आतंकवादी ठिकानों पर की गई जवाबी कार्रवाई का संदेश स्पष्ट है: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश को स्वीकार किया और उनके लिए ट्रंप सर्वोपरि हैं।

राजस्थान के सात सीमावर्ती जिलों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हनुमानगढ़ में शाम 7 बजे से सूर्योदय तक और बाड़मेर में 8.30 से सुबह 6 बजे तक, फलोदी में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा।

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आपातकालीन परिस्थिति में ब्लैकआउट पहले भी घोषित किया जा सकता है, ऐसे में रात को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलें और घरों में रोशनी को कम रखें।

अमृतसर सीमा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और सहायक उपकरण, दो पिस्तौल, चार मैगजीन, 30 कारतूस, दो डेटोनेटर और आईईडी सर्किट युक्त एक बड़ा पैकेट सफलतापूर्वक बरामद किया।

पैकेट पीले रंग के प्लास्टिक मटेरियल में लिपटा हुआ मिला, जिस पर एक इम्प्रोवाइज्ड मेटल वायर लूप लगा हुआ था, जो यह दर्शाता है कि यह ड्रोन द्वारा गिराया गया था। यह महत्वपूर्ण बरामदगी अमृतसर के शेख भट्टी गांव के पास एक खेत से हुई।

यह अविश्वसनीय रूप से सफल ऑपरेशन सटीक, सूचना और बीएसएफ और पंजाब पुलिस द्वारा अच्छी तरह से समन्वित अनुवर्ती कार्रवाई का परिणाम था, जिसने पंजाब में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों की तस्करी के एक और प्रयास को विफल कर दिया, जिससे कई निर्दोष लोगों की जान बच गई।

सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने कहा, संसद का एक विशेष सत्र तत्काल बुलाया जाए, जिसमें पिछले 18 दिनों की घटनाओं, विशेषकर पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले से लेकर अब तक की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हो और आगे की दिशा तय की जाए, ताकि देश एकजुट होकर सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन कर सके।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908